



नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ५१) काठमाडौं चैत, २३ गते २०५८ साल (अतिरिक्ताङ्क ७७ (क))

भाग ४

श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारको सूचना

श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्कीले २०५८ साल चैत २२ गतेदेखि लागू हुने गरी महान्यायाधिवक्ताको पदबाट चढाउनु भएको राजीनामा मौसुफबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम स्वीकृत गरिबखसेको छ ।

हुकुम बखसे बमोजिम,

पशुपतिभक्त महर्जन

श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिव

पत्र सं. ११ प्रसिद्धिपत्रांक ७९ दिनांक १०/११/१९६२

१. आसाम प्रान्त के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित प्रकार के कृषकों को कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है कि वे निम्नलिखित शर्तों पर अधिकार प्राप्त करेंगे-
२. जो आसाम प्रान्त के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित प्रकार के कृषक हैं-

आसाम प्रान्त

कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए

(क) १०० एकड़ (तीसरी सीमा) आस २४०९ को १९६२ में विभाजित (१४३७)

४ भाग

प्रस्तावित कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए

कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए ४ भाग में विभाजित किया गया है। प्रस्तावित कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए १९६२ में विभाजित किया गया है। प्रस्तावित कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए १९६२ में विभाजित किया गया है। प्रस्तावित कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए १९६२ में विभाजित किया गया है।

प्रस्तावित कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए

प्रस्तावित कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए

प्रस्तावित कृषि भूखंडों पर अधिकार प्रदान करने के लिए

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको छ, मात्र लागु हुनेछ।